-144 द० प्र० सं०   पाद जी. कुर्मेबाई

आदेश पत्र   जोन आईन्द
    बनाम
    रोशन होरो वगैरह

तक   से   तक
सन् 20

M-70/2018

क्रम-संख्या	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
16/5/18	~~सोहू~~ जोन आईन्द के ~~थाना अप्राथमिकी संख्या~~ आवेदन द्वारा सूचित किया गया है कि निम्नलिखित जमीन को लेकर उभय पक्षों में तनाव है और शांति भंग होने की आशंका है । ~~थाना प्रभारी ने~~ द० प्र० सं० की धारा 144 के अंतर्गत कार्रवाई ~~हेतु अनुशंसा की है~~ । आरंभ की है ।	15-4 / 16/5/18

जमीन का विवरण

ग्राम	खाता	प्लाट	रकबा
रेहरगाड़ा	50	708	0.4 एकड़
		709	0.16 एकड़
			0.20 एकड़

चौहद्दी

उत्तर - गोडविन लकड़ा

दक्षिण - रोशन होरो

पुरब - विनोद तोपनो

पश्चिम - अघनापाहन प्रथम पक्ष

अतः मैं .... अनु० दण्डा० खूँटी उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर विवादित जमीन पर द० प्र० सं० की धारा 144 के तहत कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए उभय पक्ष करे तकरारी जमीन पर जाने से 60 (साठ) दिनों तक रोक लगाता हूँ ।

उभय पक्ष को कारण पृच्छा नोटिस निर्गत करें ।

दिनांक - 31/5/18 को रखें ।

16.5.2018

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी खूँटी

वाद सं0 एम0–70/2018–19

धारा 144 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत

जोन आईन्द बनाम रोशन होरो वगै0

आदेश

यह वाद प्रथम पक्ष जोन आईन्द पिता स्व0 विलास आईन्द ग्राम रेहरगाड़ा पो0 गोविन्दपुर थाना कर्रा जिला खूँटी द्वारा अनुमण्डल न्यायालय खूँटी को दिये गये आवेदन पर द्वितीय पक्ष रोशन होरो पिता स्व0 धर्मदास होरो वगैरह के साथ जमीन को लेकर विवाद के कारण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत् कार्यवाही प्रारम्भ किया गया।

विवादित जमीन का विवरणी निम्नांकित है:–

मौजा	खाता न0	प्लॉट न0	रकवा
रेहरगड़ा	50	708,709	0.20 डी0

चौहदी:–

उत्तर–गोडविन लकड़ा

दक्षिण–रोशन होरो

पूरब–विनोद तोपनो

पश्चिम–अधना पाहन प्रथम पक्ष

उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। विवादग्रस्त भूमि पर दावा संबंधी/कारण पृच्छा एंव कागजातों की मांग किया गया। उभय पक्षों द्वारा न्यायालय में स्वंय/विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से कारण पृच्छा एंव कागजात दाखिल किया गया।

प्रथम पक्ष कारण पृच्छा में कहते है कि ग्राम रेहरगाड़ा थाना न0 50 थाना कर्रा जिला खूँटी का खाता न0 50 हालनाप में सोमा पहान पिता लला पहान वो0 मो0 बुधनी जोजो डुगरू पहान के नाम से कायमी दर्ज है। खतियान के अनुसार कुर्सीनामा दाखिल किया गया है। आर0 एस0 खतियानी रैयत सोमा पहान पिता लला पहान का इकलौता पुत्र था जो खेदु पहान था खेदु पहान के पुत्र क्रमशः अगना पहान एंव राम लगन पहान हुए राम लगन पहान के दो पुत्र शिवलाल पहान एंव बुदु पहान हुए। आवेदक जोन आईन्द पिता स्व0 विलास हरूण आईन्द ने राम लगन पहान के पुत्र शिवलाल पहान एंव खेदु पहान तथा अघना पहान से कुल 125000/ रूपये में ग्राम रेहरगड़ा थाना न0 50 प्लॉट न0 708 रकवा 0.10 डी0 मधे 0.04 डी0 पूर्व तरफ एंव प्लॉट न0 709 रकवा 0.16 डी0 कुल 0.20 डी0 जमीन को उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार खूँटी से अनुमति वाद सं0 357/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 07.12.2013 के आधार पर क्रय किया। पुनः उनका कहना है कि खाता न0 50 में सिकमी खाता 8 बना था। जिसमें सिकमीदार इलियाजर मुण्डा पिता हरि मुण्डा थे सिकमी रैयत का कुर्सीनामा निम्न प्रकार है:–

हरि मुण्डा

इलियाजर मुण्डा

विलास हारूण आईन्द   मंगलमय आईन्द   कुशलमय आईन्द

डेविड आईन्द   जोन आईन्द (क्रेता)   नोएल आईन्द

सिकमीदार का कोई हक खाता न0 50 में नही रहने के कारण आवेदक ने खतियानी कायमी रैयत से प्रश्नगत जमीन को खरीद लिया। आवेदक जमीन पर दखलकार है अतः द्वितीय पक्ष का उपरोक्त जमीन पर किसी तरह का कोई हक दखल सरोकर नही है फिर भी वे तकरारी जमीन पर गृह निर्माण हेतु नींव खोद रहे है प्रथम पक्ष के द्वारा रोकने पर विपक्षीगण कानून को हाथ में लेकर प्रथम पक्ष के सदस्य को जान से मारने के लिए लाठी–टांगी लेकर दौड़ाया जिससे प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष के सदस्य से भय बना हुआ है। प्रथम पक्ष द0प्र0सं0 की धारा 144 की कार्यवाही से द्वितीय पक्ष को प्रतिबंधित करने एंव अपने पक्ष में मुक्त करने का निवेदन करते है।

द्वितीय पक्ष अपने कारण पृच्छा में कहते है कि वादग्रस्त जमीन प्रथम पक्ष की अपनी खरीदगी जमीन है जिस पर द्वितीय पक्ष को कोई लेना देना नही है इसलिए इस वाद को समाप्त करने का आग्रह किया गया है। विपक्षीगण के द्वारा मौजा रेहरगड़ा अर्न्तगत खाता न0 50 प्लॉट न0 710 रकवा 14 डी0 एंव प्लॉट न0 711 रकवा 0.01 डी0 में सरकारी योजना स्वीकृत कराकर मकान एंव शौचालय निर्माण कराया जा रहा है। जिस पर विपक्षीगण का वर्षो से शान्तिपूर्वक दखलकब्जा चला आ रहा है।

अतः उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कारण पृच्छा एंव विज्ञ अधिवक्ताओं के बहस के आलोक में वादगत भूमि प्रथम पक्ष की अपनी खरीदगी है। जिस पर द्वितीय पक्ष कोई दावा नही करते है। उनका निर्माण कार्य अन्य भूमि पर है। अतः वाद की कार्यवाही बन्द किया जाता है।

लेखापित एंव संशोधित।

6.7.18

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खूँटी

6.7.18

अनुमण्डल दण्डादिकारी
खूँटी